30 अक्टूबर को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आयोजित होगा वार्षिक दीक्षा समारोह। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस अवसर पर मणिपुर की राज्यपाल और जामिया की चांसलर डा. नजमा हेपतुल्ला भी मौजूद रहेंगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 22 अक्टूबर 2019

पूरी दिल्ली परिवार की तरह दिवाली मनाएगी : केजरीवाल

बड़ा कदम ▸ पराली से हो रहे प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने लिया निर्णय, कनॉट प्लेस में 26 से 29 तक होगा मेगा लेजर शो

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन, सीएम परिवार के साथ होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इस साल कनॉट प्लेस में सभी दिल्लीवासियों के साथ सामूहिक रूप से दिवाली मनाने की घोषणा की है। इसके लिए दिल्ली सरकार कनॉट प्लेस में मेगा लेजर शो का आयोजन करेगी। इस बात की जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता में दी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उपस्थित थे।

केजरीवाल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली से हो रहे प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पहली बार चार दिन का लेजर शो करने का निर्णय लिया है। मेगा लेजर शो का आयोजन कनॉट प्लेस में 26 से 29 अक्टूबर तक होगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी कि इस बार हम सारी दिल्ली के लोग एक बड़े परिवार की तरह मिलकर एक साथ कनॉट प्लेस में प्रदूषणरहित दिवाली मनाएंगे। सामूहिक रूप से दिवाली मनाने से त्योहार का आनंद बढ़ेगा और प्रदूषण भी कम होगा। दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं आ रहा है इसलिए शहर को आंतरिक प्रदूषण को कम रखने के लिए हरसंभव कोशिश करनी होगी। इसमें जनता का सहयोग जरूरी है। दिल्ली के सभी लोग इन चार दिनों तक हर शाम छह से 10 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। फूड कोर्ट में लोग लजीज भोजन का आनंद उठा सकेंगे। कार्यक्रम में सीएम अपने पूरे परिवार के साथ शामिल होंगे।

प्रवेश के लिए पास की जरूरत नहीं : इस आयोजन में पास या टिकट की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की पहली सामूहिक दिवाली सभी के लिए है। दिवाली हम सभी का त्योहार है। किसी को भी किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली के सभी लोग आएं और मेरे साथ दिवाली मनाएं।

26 अक्टूबर को उपराज्यपाल करेंगे लेजर शो का उद्घाटन : छोटी दिवाली के दिन 26 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में लेजर शो का उद्घाटन उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस साल एक जगह ही लेजर शो का आयोजन हो रहा है। इसके बेहतर परिणाम आने के बाद अगले साल से दिल्ली में कई अन्य जगहों पर भी आयोजन होगा।

सीपी में व्यापार घटेगा नहीं, बढ़ेगा : लेजर शो के आयोजन से व्यापारियों के व्यापार पर असर पर जब प्रश्न किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि लेजर शो का आनंद लेने पूरी दिल्ली कनॉट प्लेस आ रही है। इससे उस दौरान कनॉट प्लेस में व्यापार घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ेगा। वहां के व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा।

चार दिन तक इनर सर्कल में वाहन रहेंगे प्रतिबंधित : दिल्ली सरकार के दिवाली समारोह के कारण 26 से 29 अक्टूबर तक कनॉट प्लेस (सीपी) के इनर सर्कल में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। उन्होंने कहा कि लोग मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवाजी पार्क व अन्य जगहों पर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जहां से लोगों को ले जाने के लिए सरकार की तरफ से आंतरिक परिवहन की भी व्यवस्था की गई है। सिसोदिया ने कहा कि जो मजा पटाखा जलाकर दिवाली मनाने में आता है, उससे ज्यादा आनंद लेजर शो देखने में आएगा। दिवाली पर जलाने वाले पटाखों से प्रदूषण होता है। हर साल दिवाली के बाद खबर आती है कि इतने का पटाखा जला। इतना प्रदूषण बढ़ गया। अब ऐसा न हो इसके लिए लेजर शो का आनंद लें। मैं पिछली बार सिग्नेचर ब्रिज गया था। मैंने देखा कि लोग दिवाली में पूजा करने के बाद वहां आए थे। इस बार कनॉट प्लेस आएं और साथ में दिवाली मनाएं।

दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साथ में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। संजय

कनॉट प्लेस की जगह सरकार कहीं और मना ले दिवाली : एनडीटीए

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कनॉट प्लेस में दीपावली मनाने के दिल्ली सरकार के निर्णय का यहां के दुकानदारों ने विरोध किया है। कारोबारियों के संगठन नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) ने कहा कि इस आयोजन से कनॉट प्लेस के कारोबारियों का कारोबार प्रभावित होगा। इसके चलते जाम और वायु प्रदूषण की समस्या भी बढ़ेगी। एनडीटीए ने इस संबंध में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) व जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। उसने सरकार से आग्रह किया है कि वह यह आयोजन कहीं और कर ले। दिल्ली में कई उपयुक्त स्थान हैं। एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने सोमवार को बैठक भी की। एनडीटीए के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा कि सरकार ने कनॉट प्लेस के कारोबारियों से राय भी नहीं ली। कारोबारियों को इस आयोजन से दिक्कत नहीं है, लेकिन यह कहीं और होना चाहिए। इंडिया गेट, लाल किला, रामलीला मैदान, बुद्धा गार्डन जैसे स्थलों के साथ दिल्ली में कई सारे स्टेडियम भी हैं, जहां इसका आयोजन भव्य तरीके से किया जा सकता है। भार्गव ने कहार कि दीपावली से दुकानदारों को काफी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि इन दिनों काफी संख्या में खरीदार आते हैं। इस कारण वाहनों और लोगों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। उसमें इस तरह के आयोजन से कारोबार काफी प्रभावित होगा।

पांच साल में इस बार डेंगू का प्रकोप सबसे कम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू किए जागरूकता अभियान में लोगों द्वारा दिए गए योगदान की तारीफ की है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले पांच साल में इस बार डेंगू के अब तक सबसे कम मामले सामने आए हैं क्योंकि दिल्ली के लोग इस बार डेंगू को परास्त करने की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से 15 नवंबर तक सतर्क रहने की अपील की है क्योंकि यह देखा गया है कि नवंबर के मध्य तक डेंगू का प्रकोप अधिक रहता है। इसके बाद मौसम में ठंड बढ़ने के साथ डेंगू का प्रकोप खत्म हो जाता है।

सत्येंद्र जैन ने कहा कि सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू के 644 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले साल 1020 मामले सामने आए थे और चार लोगों की मौत हुई थी। इस साल डेंगू से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 2015 में यहां डेंगू से 60 मरीजों की मौत हुई थी। डॉक्टरों ने दिल्ली सरकार के समक्ष इस बार डेंगू का प्रकोप अधिक होने की आशंका जाहिर की थी। लेकिन सभी आशंकाओं के बावजूद इस बार दिल्ली में डेंगू नियंत्रित है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहल पर दिल्ली सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए '10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट' अभियान शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक रविवार को लोगों को अपने घर में सफाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

न्यूज गैलरी

सीबीएसई पाठ्यक्रम पर ही आधारित होगी बोर्ड परीक्षा

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड के सभी छात्रों को परीक्षा के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम से तैयारी करने की बात कही है। बोर्ड के छात्र हर बार एनसीईआरटी की किताबों से ही परीक्षा की तैयारी करते आए हैं। लेकिन सीबीएसई ने अब छात्रों को केवल अपने शैक्षणिक सत्र के पाठ्यक्रम से ही पढ़ने को कहा है न कि एनसीईआरटी की किताबों से। सीबीएसई हमेशा परीक्षा के लिए एनसीईआरटी की किताबों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित करता है। लेकिन बोर्ड ने देखा कि किताबों में कहीं-कहीं पर लिखा है कि यह जानकारी परीक्षा या मूल्यांकन के उद्देश्य से नहीं है। बोर्ड ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा है कि एनसीईआरटी पुस्तकों में लिखी गई यह जानकारी सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लागू नहीं है। छात्रों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिए सीबीएसई द्वारा जारी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम से तैयारी करने की सलाह दी गई है। (जासं)

छात्रों के लिए खुला रहेगा जेएनयू की पार्थसारथी चट्टान का रास्ता

नई दिल्ली : जेएनयू प्रशासन ने अफवाहों को दूर करते हुए कहा कि छात्रों के लिए परिसर की मुख्य घूमने वाली जगहों में से एक पार्थसारथी चट्टान का रास्ता खुला रहेगा। प्रशासन ने वहां प्रवेश के लिए समय निर्धारण किया है। छात्रों को वहां जाने के लिए आइकार्ड दिखाना होगा। ऐसा सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। जेएनयू प्रशासन ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि पार्थसारथी चट्टान के पास मरम्मत का काम चल रहा है इसलिए रास्ता बंद किया गया है। कुछ लोगों ने शनिवार देर रात ताला तोड़कर गेट उखाड़ दिया था, जा कि अपराध है। उन लोगों की तलाश कर कार्रवाई की जाएगी। पार्थसारथी चट्टान की ओर जाने का रास्ता सुबह साढ़े पांच बजे से शाम साढ़े सात बजे तक खुला रहेगा। (जासं)

एशिया बुक ऑफ में रिकार्ड में दर्ज हुआ वेस्ट से बना चरखा

नोएडा : महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर शहर में प्लास्टिक वेस्ट से बनाया गया चरखा एशिया बुक ऑफ रिकार्ड में नाम दर्ज कराने में सफल हो गया है। मंगलवार को एशिया बुक ऑफ रिकार्ड की टीम नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी को रिकार्ड से संबंधित प्रमाणपत्र, पैन व बैच सौंपेगी। इसके बाद अब गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड में नाम दर्ज होने की संभावना है। टीम 25 अक्टूबर को चरखा देखने के लिए नोएडा आ सकती है। इससे पहले चरखे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया। इस चरखे को बनाने में 1250 किलोग्राम प्लास्टिक की जरूरत पड़ी थी। (जासं)

सुसाइड नोट में मां-बेटे ने 11 लोगों को जिम्मेदार ठहराया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ **प्रोफेसर और उनकी मां की मौत के मामले में केरल जाएगी पुलिस**

सेंट स्टीफंस के प्रोफेसर एलन और उनकी मां लिसी की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस जल्द ही केरल के लिए रवाना होगी। दरअसल मां-बेटे ने सुसाइड नोट में लिसी के दूसरे पति के परिजनों सहित कुल 11 लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इसमें दूसरे पति की मौत के मामले की जांच कर रही अधिकारी भी शामिल हैं। ये सभी लोग केरल के ही रहने वाले हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुसाइड नोट में प्रोफेसर व उनकी मां ने दूसरे पति की मौत के मामले की जांच कर रहे एसएचओ एवं एसआइ के अलावा लिसी के सौतेले बेटे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि ये लोग लगातार दोनों को प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब पुलिस टीम को केरल रवाना किया जाएगा ताकि सुसाइड नोट के तथ्यों की जांच की जा सके और उनमें नामजद लोगों से पूछताछ की जा सके। वहीं सोमवार को पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

प्रोफेसर की मां लिसी के दूसरे पति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर मां-बेटे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केरल में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दोनों ने कोर्ट से जमानत ले रखी थी। बताया जाता है कि मामला दर्ज होने के बाद दोनों बेहद तनाव में चल रहे थे। इसे ही दोनों की मौत की वजह मानी जा रही है। मामले में पुलिस ने जांच के लिए एलन के लैपटॉप व कुछ डायरी कब्जे में ली हैं। इसके आधार पर पुलिस जांच की दिशा को आगे बढ़ाने में लगी है। लिसी का पंखे से लटका हुआ शव पीतमपुरा स्थित आशियान अपार्टमेंट के उनके फ्लैट में शनिवार को मिला था, जबकि एलन का शव उसी दिन सराय रोहिल्ला स्टेशन के निकट रेलवे लाइन पर मिला था। लिसी के मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। ऐसे में उनकी मौत को लेकर रानी बाग थाने में हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। माना जा रहा है कि मां की हत्या के बाद एलन ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकशी की है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना दिल्ली सरकार ने की लागू

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया है। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू कर दिया है। इस योजना के तहत दिल्ली के नौ हजार किसानों को लाभ मिलेगा। इसके तहत पात्र किसान को हर साल छह हजार रुपये मिलेंगे। दिल्ली के किसानों को यह राशि पहली बार मिलने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार के विकास विभाग ने नियम व शर्तों के आधार पर सूची तैयार कर केंद्र सरकार के पास भेज दी है।

इस योजना के तहत संपूर्ण राशि केंद्र से आनी है, जो किसानों के खाते में जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना को लागू करने की कुछ माह पहले ही मंत्री गोपाल राय ने अनुमति दे दी थी। इसके बाद से दिल्ली के किसानों से इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदन मांगे गए थे। दिल्ली में 20 हजार किसान हैं, लेकिन योजना की शर्तों के चलते इसमें दिल्ली के नौ हजार किसान ही शामिल हो पाए हैं। योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा, जिनके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या जो आयकर के दायरे में आते हैं।

भूमि अधिग्रहण मामले में लागू रहेगा यथास्थिति का आदेश : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ **नोएडा के बदौली बांगर गांव में 2013 में किया था किसानों की जमीन का अधिग्रहण**

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के बदौली बांगर गांव मे 2013 में हुए अधिग्रहण के मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अधिग्रहण रद करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली नोएडा अथारिटी की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली है। बदौली बांगर गांव का यह क्षेत्र नोएडा सेक्टर-146, 147 और 157 में आता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पांच जनवरी 2017 को अधिग्रहण रद कर दिया था। इसके खिलाफ नोएडा अथारिटी ने सुप्रीम कोर्ट मे अपील दाखिल की। हाई कोर्ट ने किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण कानून की धारा-छह मे जारी नोटिस रद किया था और धारा-चार का नोटिस बहाल रखा था, जबकि कुछ मामलों में धारा-चार और छह दोनों के तहत जारी नोटिस रद कर दिया था। अथारिटी ने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है। पिछली सुनवाई 13 अगस्त को कोर्ट ने दोनों पक्षों को मामले मे यथास्थिति कायम रखने का आदेश देते हुए अथारिटी से कहा था कि वह सभी मामलों के बारे मे अलग-अलग मुकदमा सार दाखिल करे ताकि कोर्ट मामले पर विस्तृत सुनवाई कर सके।

गत 15 अक्टूबर को जब मामला सुनवाई पर आया तो अथारिटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने बताया कि उन्होंने अलग-अलग पक्षकारों के बारे मे मुकदमा सार दाखिल नहीं किया है, बल्कि एक मुख्य मामले मे ही सबका ब्योरा दे दिया है। इस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और उसने सभी मामलों में अलग-अलग सार दाखिल करने का आदेश दिया। तभी भू स्वामी किसानों के वकील डाक्टर राजीव शर्मा ने कोर्ट से कहा कि अदालत के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद अथारिटी वहां की जमीन आवंटित कर रही है। उन्होंने अथारिटी द्वारा वहां कब्जा किए जाने आदि का आरोप लगाते हुए कोर्ट मे कुछ फोटो भी दिखाए। इस पर सुनवाई कर रही पीठ के न्यायाधीश संजय किशन कौल और केएम जोसेफ ने कहा कि वह फोटुओं के आधार पर कुछ नहीं कह सकते। अगर किसी को शिकायत है तो वह अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने नोएडा अथारिटी को सभी मामलों में अलग मुकदमा सार दाखिल करने का समय देते हुए याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली। साथ ही कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश स्थाई कर दिया यानी जब तक मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता यथास्थिति कायम रहेगी।

यह मामला 2013 के अधिग्रहण का है। इसमें भूस्वामी किसानों को जुलाई 2016 मे अवार्ड दे दिया गया था, लेकिन किसानों ने अधिग्रहण के खिलाफ सुनवाई का मौका नहीं दिए जाने के आधार पर अधिग्रहण को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने पांच जनवरी 2017 को किसानों की याचिका स्वीकार करते हुए अधिग्रहण रद कर दिया था। यह मामला कुल 81.8193 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का है।

हवा रही खराब, आज हो सकती है बहुत खराब

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मौसम के उतार-चढ़ाव के बीच पराली का धुआं भी तेजी से दिल्ली पहुंच रहा है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी हो जाने से इसकी मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि सोमवार को प्रदूषण का स्तर जहां खराब श्रेणी में था, वहीं मंगलवार को यह बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 249 रहा। गाजियाबाद का 284, ग्रेटर नोएडा का 243, गुरुग्राम का 201 और नोएडा का 260 दर्ज किया गया। इस श्रेणी की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। सफर के मुताबिक सोमवार को पराली का प्रदूषण दिल्ली में 12 फीसद रहा, जबकि मंगलवार को यह बढ़कर 14 फीसद हो जाएगा। सफर के अनुसार अब हवा उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है। इससे पराली का धुआं भी दिल्ली-एनसीआर को ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। मंगलवार से हवा और ज्यादा खराब हो सकती है। केंद्र द्वारा संचालित संस्था सफर इंडिया के मुताबिक हरियाणा, पंजाब और सीमावर्ती हिस्सों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी आई है। इसके धुएं का व्यापक प्रभाव दिल्ली की हवा में दिखने लगा है। नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली का दम घुट सकता है।

दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से दिल्ली में तेज हवा चलेगी। इसकी वजह से कुछ समय के लिए लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिल सकती हैं। माह के अंत तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। इस दौरान हवा की गति काफी कम हो जाएगी लिहाजा नवंबर में आसार अच्छे नहीं हैं। उधर, सोमवार को सुबह ही धूप निकल आई थी, लेकिन तापमान में कमी और हल्की धुंध के चलते इसकी चमक कम रही। अधिकतम तापमान 31.8, जबकि न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। दोनों ही सामान्य से एक डिग्री कम हैं।

एप से रखी जाएगी प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर नजर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर अब मोबाइल एप की भी नजर रहेगी। इस खास एप को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने तैयार करवाया है। इसकी मदद से संबंधित अधिकारी औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के समय लाइव वीडियो के जरिये उच्चाधिकारियों से जुड़े रहेंगे। सीपीसीबी के अनुसार इस एप का मकसद फॉलोअप निरीक्षणों में कमी लाना हैं। अभी छोटी सी भी कमी मिलने के बाद होने वाले फॉलोअप निरीक्षण की संख्या काफी अधिक है। अब इस एप के जरिये संबंधित औद्योगिक इकाइयों का ई इंस्पेक्शन संभव हो सकेगा। इस एप को सीपीसीबी की आइटी शाखा ने विकसित किया है। एप में रिमोट के जरिये लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो की सुविधा का लाभ लेते हुए निरीक्षण संभव हो सकेगा। हालांकि इस एप का इस्तेमाल अन्य प्रकार की जांच जैसे उद्योगों के कचरे और धूल आदि में भी हो सकेगा।

प्रदूषण के खिलाफ नगर निगमों ने किए 3240 चालान

जासं, नई दिल्ली : वायु प्रदूषण को लेकर निगम सख्त दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि रोज दिल्ली में करीब 500-600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निगमों का उद्देश्य धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकना है इसलिए विशेष रूप से निर्माणाधीन साइटों का निरीक्षण किया जा रहा है और उनका चालान किया जा रहा है। 15 अक्टूबर से लेकर अब तक दिल्ली के तीनों नगर निगम ने 3200 से अधिक लोगों कि खिलाफ चालान किया गया है। कार्रवाई करने में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम सबसे आगे है। 3240 में से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अब तक 2064 लोगों पर कार्रवाई की है। दक्षिणी निगम ने प्रगति मैदान में चल रहे निर्माण कार्य की कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के विभागों पर भी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर मलबा होने पर भी चालान काटा गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 1019 लोगों पर कार्रवाई की है। इन पर भी निगम ने भारी जुर्माना लगाया है। निगम ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों से मलबा उठाने की एवज में शुल्क भी वसूल किया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण खत्म करेगा 1688 डंपिंग ग्राउंड

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

लैंडफिल साइट्स का समाधान भले न निकल पा रहा हो, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जल्द ही दिल्ली के 16 सौ से अधिक डंपिंग ग्राउंड अवश्य खत्म करने जा रहा है। अब यहां कचरा नहीं डाला जा सकेगा। डीडीए ने यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध भी कर दिए हैं। इस दिशा में सारा प्लान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) के साथ मिलकर तैयार किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए डीडीए का यह प्लान एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। पिछले साल सर्दियों में ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल ने कहा था कि दिल्ली में पराली से कहीं अधिक प्रदूषण खुले में कचरा, रबड़ और प्लास्टिक जलाने की वजह से फैलता है। औद्योगिक क्षेत्रों में प्लास्टिक, जूते के सोल, तारें सभी कुछ जलाया जा रहा है। इसके बाद सीपीसीबी ने सभी सरकारी विभागों से उनकी खाली जगहों की सूची मांगी थी, जिससे इन स्थानों पर खुले में कचरा जलाने की घटनाओं को रोका जा सके।

इसके बाद डीडीए ने पिछले दिनों ईपीसीए और सीपीसीबी को अपने 1688 खाली प्लॉटों की सूची सौंप दी थी। इस पर सीपीसीबी ने इन प्लॉटों पर उचित निगरानी के डीडीए को निर्देश दिए थे। इसके लिए यहां सुरक्षा गार्ड तैनात करने, सीसीटीवी लगाने या फिर प्लॉटों को ऊंची चारदीवारी से कवर करवाने के लिए कहा था, जिससे यहां कूड़ा डंप न किया जा सके।

उक्त निर्देशों की अनुपालना में डीडीए ने इन सभी खाली प्लॉटों, जिन्हें लोगों ने डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। उनकी निगरानी के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए हैं। छोटे प्लॉट के लिए एक जबकि बड़े प्लॉट के लिए दो गार्ड तैनात किए गए हैं। सभी गार्ड निजी सुरक्षा एजेंसियों से लिए गए हैं। इसके अलावा खाली प्लॉटों की चारदीवारी भी कराई जा रही है। जिन प्लॉटों में कचरा पड़ा है, वह भी इसी सप्ताह साफ करा दिया जाएगा।

खुले में कचरा जलाने की सबसे अधिक शिकायतें उत्तरी जोन, पूर्वी जोन, द्वारका और रोहिणी क्षेत्रों के अलावा नरेला, बवाना आदि से आती रही हैं। ईपीसीए के चेयरमैन भूरेलाल के अनुसार यदि धूल और खुले में कचरा जलाने की घटनाओं को नियंत्रित कर लिया जाए तो दिल्ली- एनसीआर के वायु प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

> ईपीसीए और सीपीसीबी के निर्देशों की अनुपालना में खाली प्लॉटों को डंपिंग ग्राउंड बनने से रोकने के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। अब डीडीए के किसी भी खाली प्लॉट पर कचरा जलाना तो बहुत दूर की बात, कचरा डालना भी संभव नहीं हो सकेगा।
>
> **-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए**

अपराधों की भी राजधानी है दिल्ली

जांस, नई दिल्ली : दिल्ली अपराध के जघन्य मामलों में देश के कई शहरों की तुलना में अव्वल बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के वर्ष 2017 के आकड़ों के मुताबिक राजधानी में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हत्या, लूटपाट व डकैती जैसी वारदात ज्यादा हुई। वहीं, महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं की संख्या भी काफी रही। उस दौरान दिल्ली में रोड रेज और गैंगवार के ज्यादा मामले भी सामने आए। एनसीआरबी ने 2017 के आंकड़े सोमवार रात जारी किए। इसके मुताबिक इस वर्ष देशभर में सबसे ज्यादा 310084 अपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में 288879, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में 269512, चौथे स्थान पर केरल में 235846 और पांचवें स्थान पर दिल्ली में 232066 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। इस दौरान हत्या के सर्वाधिक 25 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए।

डकैती और लूटपाट के मामले भी सबसे अधिक 16 दिल्ली में सामने आए। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध सबसे अधिक पटना में 25 दर्ज किए गए। दूसरे स्थान पर दिल्ली में 14 मामले दर्ज किए गए। अवैध संबंध में होने वाली घटनाएं भी सबसे अधिक राजधानी में रिपोर्ट की गईं। यहां 29 मामले दर्ज किए गए। 14 मामलों के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं के मामले में ओडिशा 5220 मामलों के साथ सबसे ऊपर है। केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली में 1124 घटनाओं के साथ सबसे ऊपर है।

पड़ेगी मार

गंतव्य तक जाने के लिए किराये पर कैब उपलब्ध कराने की है योजना, मेट्रो स्टेशनों के पास ऑटो व ग्रामीण सेवा की आवाजाही कम की जाएगी

डीएमआरसी की कैब योजना से यात्रियों की ढीली होगी जेब

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मेट्रो किराया दोगुना होने से यात्री पहले से ही परेशान हैं। अब उन्हें मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद घर व दफ्तर पहुंचने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। ई-रिक्शा व इलेक्ट्रिकल मेट्रो फीडर बस जैसी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की किफायती सुविधाएं तो अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन मेट्रो स्टेशनों से गंतव्य तक जाने के लिए किराये पर कैब उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए डीएमआरसी ने कैब संचालक कंपनी से करार किया है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की यह योजना यात्रियों की जेब पर भारी पड़ सकती है।

लोगों को प्रतिदिन भारी भरकम रकम मेट्रो व कैब के किराये पर खर्च करनी पड़ सकती है। जिन इलाकों में मेट्रो की सुविधा एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, वहां के यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मौजूदा समय में डीएमआरसी सिर्फ 174 मेट्रो फीडर बसों का परिचालन कर रहा है। इन मेट्रो फीडर बसों का किराया पांच-दस रुपये है। फीडर बसों की संख्या कम होने की वजह से डीएमआरसी ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उबर कैब से करार किया है, जिसे 210 स्टेशनों पर जगह उपलब्ध कराई गई है। इन स्टेशनों पर कैब संचालक कंपनी करीब 400 जगहों पर अपना कियोस्क लगाएगी। वहां यात्री कैब बुक करा सकेंगे। डीएमआरसी मेट्रो स्टेशनों पर कैब की पार्किंग के लिए जगह भी उपलब्ध कराएगा। हालांकि कैब की सुविधा लेना या न लेना यात्रियों की इच्छा पर है, लेकिन इस योजना का एक मकसद यह भी है कि मेट्रो स्टेशनों के पास ऑटो व ग्रामीण सेवा की आवाजाही कम की जाए।

मेट्रो फीडर बसें पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, ई-रिक्शा योजना भी परवान नहीं चढ़ीं ऐसे में यदि मेट्रो स्टेशनों के पास ऑटो व ग्रामीण सेवा को खड़ी होने की जगह उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो यात्रियों को मजबूरी में कैब का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे में तीन से चार किलोमीटर के सफर के लिए भी यात्रियों को व्यस्त समय में 100-110 रुपया किराया कैब को भुगतान करना पड़ सकता है।

यह भी तब जबकि पहले हुए सर्वे में यह बात सामने आ चुकी है कि मेट्रो में 15000 से 25,000 रुपये कमाने वाले लोग ही अधिक सफर करते हैं। दिल्ली व एनसीआर के शहरों के बीच आवागमन के लिए यात्री मेट्रो में एक तरफ से 60 रुपये व दोनों तरफ से 120 रुपये किराया भुगतान करने को मजबूर हैं। यदि मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद मजबूरी में कैब लेनी पड़ी तो यात्रियों का बजट बिगड़ना तय है।

लंबे समय से अधर में है फीडर बस खरीदने की योजना

डीएमआर